शिक्षक युवाओं की ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करें- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम-26 के उद्घाटन समारोह में संबोधन दिया

जयपुर, 16 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार, तकनीक एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रोजगार प्राप्ति के साथ ही युवाओं का चरित्र निर्माण भी हो। उन्होंने शिक्षकों से आ ान किया कि वे युवाओं की ऊर्जा एवं क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने के लिए अपनी महती भूमिका निभाएं।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस समागम की थीम ''अंतर संस्थागत विकास पर संवाद'' अत्यंत प्रासंगिक है। आईआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और निजी शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर काम करने से धरातल पर वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम-2026 का उद्घाटन किया।

शर्मा सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए ,जो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम हो। जहां वेदों के ज्ञान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ हो, संस्कृत के श्लोकों के साथ कोडिंग की भाषा हो तथा योग और ध्यान के साथ रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी हो।

उन्होंने कहा कि इस समागम की थीम 'अंतर-संस्थागत विकास पर संवाद' अत्यंत प्रासंगिक है। आईआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और निजी शिक्षण संस्थाओं के मिलकर काम करने से धरातल पर वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार अब तक 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है और 1 लाख 54 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष के लिए 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती का कैलेंडर जारी किया जा चुका है।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस समागम का उद्देश्य है कि संस्थागत सहयोग, नेतृत्व विकास एवं नीति निर्माण के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति मिले। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस समागम में संस्थागत विकास, फ्युचर रैडी फैकल्टी, भारत आधारित शोध को बढ़ावा, भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार, तकनीक आधारित उच्च शिक्षा का भविष्य सहित, विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी।

फरीदाबाद की स्टील फैक्ट्री में ब्लास्ट से आग लगी

फरीदाबाद, 16 फरवरी। सेक्टर-24 स्थित एक औद्योगिक इकाई (एमजीए इंडस्ट्रीज या समान फैक्ट्री) में सोमवार शाम को भीषण आग लग गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 40 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया।

घायलों को तुरंत बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में सीएनसी मशीन से स्टील की प्लेट काटने का काम होता है। शाम करीब 4 बजे प्लेट काटते समय एक चिंगारी केमिकल से भरे ड्रम में चली गई। कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आग में 42 लोगों के झुलसने की पुष्टि की गई है जिसमें से 12 लोगों बादशाह खान सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं। आग बुझाने के दौरान तेल से भरे ड्रमों की मौजूदगी से आग और भड़क गई।

- **स्टील की प्लेट काटते समय चिंगारी कैमिकल से भरे ड्रम तक पहुंच गई जिससे पहले धमाका हुआ फिर आग लग गई। 5 पुलिसकर्मी सहित 40 से ज्यादा लोग झुलस गए।**

भिवाड़ी की कैमिकल एवं पटाखा फैक्ट्री में आग, 7 जिंदा जले

फैक्ट्री में भारी मात्रा में कैमिकल व पटाखा बनाने वाली सामग्री का भंडारण किया गया था

भिवाड़ी/ खैरथल, 16 फरवरी। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के खुशखेड़ा स्थित एक केमिकल व पटाखा फैक्ट्री में सोमवार सुबह लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। आगजनी की खबर सुनकर जयपुर से वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, अलवर से जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला तथा भिवाड़ी पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने पुष्टि की है कि घटना में सात लोगों की मृत्यु हुई है।

घायलों को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद की गई तलाशी में परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की संभावना नहीं बताई गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब साढ़े नौ बजे फैक्ट्री परिसर से अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाका इतना तेज था कि आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कर्मचारी भी घबराकर बाहर निकल आए। देखते ही देखते फैक्ट्री से धुएं का घना गुबार उठने लगा और आग तेजी से फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में ज्वलनशील केमिकल और पटाखा सामग्री का भंडारण किया गया था, जिससे आग ने कुछ ही मिनटों में भयावह रूप ले लिया।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग सक्रिय हो गया। भिवाड़ी, तिजारा, धारूहेड़ा और रेवाड़ी सहित, कई स्थानों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया जा सका।

- **घायलों को बेहतर इलाज के लिए सफदर जंग अस्पताल दिल्ली भेजा गया है।**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर गहरा दुःख जताया तथा मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।**

प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आगामी सात दिनों में औद्योगिक इकाइयों की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने बताया है कि इकाइयों में संचालित गतिविधियों, अग्नि सुरक्षा उपायों, वैधानिक अनुमतियों एवं श्रमिक सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घटनास्थल पर पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके पश्चात मंत्री अस्पताल गए और अधिकारियों को घटना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री शर्मा पुलिस थाने भी गए, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि घटना के कारणों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी सहित, जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिकी क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में आग से हुई दुखान्तिका पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव उपचार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मृतकों के आश्रितों को 3-3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उन्होंने निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता तत्काल सुनिश्चित की जाए।

जस्टिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साल के कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था।

वहीं, सह-आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इन कलाकारों को बरी किए जाने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील के माध्यम से चुनौती दी थी।

सलमान खान के वकीलों ने पूर्व में एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी, ताकि उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपील को राज्य सरकार की अपील के साथ जोड़कर (संलग्न कर) एक साथ सुना जा सके। पूर्व की सुनवाई में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने निर्देश दिया था कि तकनीकी कारणों से रुकी इस प्रक्रिया को पूरा कर दोनों प्रकरणों को संयुक्त रूप से लिस्ट किया जाए।

सुनेत्रा पवार एनसीपी (अजित पवार गुट) की अध्यक्ष बनेंगी

मुंबई/पुणे, 16 फरवरी। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। बीते कुछ दिनों से चल रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों धड़ों (शरद पवार गुट और अजित पवार गुट) के विलय की चर्चा पर फैसला टाल दिया गया है। सोमवार को महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में हुई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में पार्टी के विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बारामती विमान हादसे में पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार सरकार के बाद अब पार्टी में भी लीड रोड में नजर आएंगी।

महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद अब अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पार्टी में सर्वोच्च पद संभालेंगी। इस तरह से उनके सामने सरकार के साथ-साथ संगठन को संभालने की दोहरी जिम्मेदारी होगी।

- **इस घोषणा से स्पष्ट है कि एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय फिलहाल टल गया है**
- **सुनेत्रा पवार को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया गया है।**

दरअसल सोमवार को हुई एनसीपी नेताओं की बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति जताई गई है। बताया गया कि सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर 26 फरवरी को आधिकारिक मुहर लगेगी। आज हुई एनसीपी की अहम बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने हाथ उठाकर अपना पूर्ण समर्थन दिया।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, 26 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम पर आधिकारिक रूप से मुहर लगा दी जाएगी। फिलहाल पार्टी के विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। विधायकों को सख़्त हिदायत दी गई है कि विलय के संबंध में बाहर मीडिया में कोई भी बयान न दें।

इज़रायली टूरिस्ट से गैंगरेप के 3 दोषियों को मौत की सजा

नई दिल्ली, 16 फरवरी। कर्नाटक के कोप्पल जिले के एक सेशन कोर्ट ने सोमवार को तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई।

इन लोगों को एक इजराइली नागरिक समेत दो महिलाओं के गैंगरेप और एक पुरुष टूरिस्ट की हत्या का दोषी पाया गया था। इस अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इसकी बहुत निंदा हुई थी।

गंगावती डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में मौत की सजा सुनाई गई है। जज ने कहा कि यह जुर्म रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए।

यह घटना हम्पी के पास सनापुरा में तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक कैनाल के पास हुई। पुलिस ने बताया कि तीनों दोषियों ने 6 मार्च, 2025 की रात कोदो महिला सर्वाइवर, एक इजराइली टूरिस्ट और एक होमस्टे ऑपरेटर, और तीन अन्य पुरुष टूरिस्ट दोस्तों से पैसे मांगे थे।

योगी आदित्यनाथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होती है। आंखों में जलन होती है और सांस लेने में परेशानी होती है। बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। स्थिति बहुत खराब है।''

बताया जा रहा है कि भाजपा नेता इस बयान से हैरान रह गए हैं। साथ ही इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि योगी ने ''तीखी टिप्पणी करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है।

एक विचार यह भी है कि जैसे नरेन्द्र मोदी ने अपने विकास एजेंडे को दिखाने के लिए गुजरात मॉडल पेश किया था, वैसे ही योगी भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में गृह मंत्री अमित शाह पर बढ़त बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी ने गोरखपुर के प्रदूषण स्तर की तुलना नई दिल्ली से की। उन्होंने कहा, ''यहां (गोरखपुर) का वातावरण देखिए। यहां कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि प्रदूषण नहीं है। आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण आपकी रक्षा करेगा।''

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली के आनंद विहार में, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 239 था, जबकि गोरखपुर में यह आंकड़ा 97 दर्ज किया गया।

जहां योगी की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि ''योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा को बेनकाब कर दिया है।''

जेईई मेन्स...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थान (जीएफटीआई) जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा, ये अभ्यर्थी जेईई एडवांस्ड के लिए पात्र हो गए हैं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में प्रवेश का मार्ग है।

इस वर्ष राजस्थान से सर्वाधिक तीन अभ्यर्थी 100 परसेंटाइल स्कोरर रहे।

चुनाव आयोग ने प.बंगाल के सात अधिकारियों को सस्पैंड किया

कोलकाता, 16 फरवरी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में सात आधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही, आयोग ने मुख्य सचिव को उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु करने का निर्देश दिया है। इन सभी अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही और एसआईआर के संबंध में कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप है। रविवार रात को पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिन चक्रवर्ती को भेजे गए लैटर में आयोग ने अलग-अलग जिलों के सात असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है। लेटर में कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कहा गया है कि वे बिना किसी देरी के डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरु करें और इस बारे में कमीशन को बताएं। इन सात अधिकारियों में से तीन मुर्शीदाबाद, दो साउथ 24 परगना और एक-एक वेस्ट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जिले में पोस्टेड हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक के वीडियो का पूर्ण ट्रांसक्रिप्शन मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एआई बहुत विकसित हो गया है तो अनुवाद 98 प्रतिशत सटीक होना चाहिए

नई दिल्ली, 16 फरवरी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पेश किए गए वीडियोट्रांसक्रिप्ट को लेकर केन्द्र सरकार से सवाल पूछे। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र सरकार से पूछा कि वांगचुक के मामले में जो वीडियो जमा किए गए हैं उनके सही ट्रांसक्रिप्ट (शब्द-दर-शब्द रिकॉर्ड) कहां हैं। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) बहुत विकसित हो गया है, ट्रांसलेशन में कम से कम 98 प्रतिशत सटीकता होनी चाहिए।

कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वांगचुक के बयान का असली ट्रांसक्रिप्ट सरकार से चाहिए। इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि कुछ बातें जो सरकार ने वांगचुक के नाम पर लिखी हैं, वह उन्होंने कभी नहीं कहीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके पास वीडियो का असली ट्रांसक्रिप्ट हो। आप जो कह रहे हैं और वांगचुक ने जो कहा है, दोनों अलग हैं। हम यह तय करेंगे। कम से कम जो वांगचुक ने कहा, उसका सही अनुवाद होना चाहिए। इस मामले में सिब्बल ने ट्रांसलेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वांगचुक अपनी हड़ताल जारी रखते रहे और युवाओं को उकसाने के लिए नेपाल का जिक्र करते रहे। उन्होंने कहा कि यह लाइन कहां से आई? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कोर्ट को बताया कि ट्रांसक्रिप्ट बनाने का अलग विभाग है और वे इसमें विशेषज्ञ नहीं हैं।

- **वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, जो बातें वांगचुक के हवाले से कही जा रही हैं, वो उन्होंने कभी नहीं कहीं।**
- **एडीशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा ट्रांसक्रिप्शन का विभाग अलग ह ै, वे इसके विशेषज्ञ नहीं हैं।**

बता दें कि केन्द्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वांगचुक की हिरासत के दौरान 24 बार मेडिकल जांच की गई और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत का कारण अभी भी मौजूद है, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता।

दरअसल, वांगचुक की पत्नी गितांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा कि वांगचुक की एनएसए, 1980 के तहत हिरासत अवैध है।

गुजरात में 33 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, राज्यभर में हड़कम्प

अहमदाबाद, 16 फरवरी। गुजरात के कुल 33 स्कूलों को 16 फरवरी सोमवार की सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी भरा मेल वडोदरा के 18 और अहमदाबाद के 15 स्कूलों को भेजा गया है।

इस ईमेल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिसमें गुजरात खालिस्तान बनेगा और हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, जैसी धमकी दी गई हैं। यह धमकी मिलने के बाद सभी स्कूलों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और अभिभावकों में भी चिंता फैल गई। इस पर तुरंत ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमों को मौके पर भेजा गया। एहतियात के तौर पर, स्कूलों को खाली कराकर छात्रों को सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था की गई।

भारत की सावलकोट हाइड्रो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्षमता को मजबूत करेगा। इस परियोजना की प्रगति क्षेत्र में जलविद्युत निर्माण की तेजी से बढ़ती दर के बीच हो रही है, जो अनुमत जल संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने की नीति में परिवर्तन को दर्शाता है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, इस परियोजना को एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 5,129 करोड़ रूपए का अनुमानित निवेश है। यह उधमपुर और रामबन जिलों में स्थित है, जो चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार परियोजना और सलाल संयंत्र के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है।

इंजीनियरिंग योजनाओं के अनुसार, इसमें 192.5 मीटर ऊँचा रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी डेम बनाया जाएगा। निर्माण के दौरान नदी को तीन घोड़े की नाल के आकार की सुरंगों से मोड़ा जाएगा, जिनकी लंबाई अलग-अलग होगी। नदी के बाएं किनारे पर एक भूमिगत पावरहाउस में आठ जनरेटिंग यूनिट्स होंगी, प्रत्येक की क्षमता 225 मेगावाट, जो कुल मिलाकर 1,800 मेगावाट होगी। एक अतिरिक्त 56 मेगावाट पर्यावरणीय फ्लो स्टेशन होगा, जो नियमन के तहत जल प्रवाह का उपयोग करेगा, जिससे कुल स्थापित क्षमता 1,856 मेगावाट हो जाएगी।

- **भारत सरकार ने कहा कि सावलकोट परियोजना का निर्माण इंडस वॉटर ट्रीटी के प्रावधानों के तहत ही किया जा रहा है।**
- **सावलकोट परियोजना ''रन ऑफ द रिवर हाइड्रौलेक्टिक स्कीम'' के तहत बन रही है, इसके लिए सिंधु जल समझौते में अनुमति दी गई है।**

बाढ़ प्रबंधन पैरामीटर यह दर्शाते हैं कि निर्माण के दौरान जल परिवहन क्षमता गैर-मूसलधार अवधि में 2,977 घन मीटर प्रति सैकंड और मूसलधार अवधि में 9,292 घन मीटर प्रति सैकंड होगी। डिज़ाइन रन-ऑफ-द-रिवर सिद्धांतों के अनुसार है, यानी जल को संचयित करने की क्षमता सीमित है और बिजली उत्पादन के बाद जल को नदी में वापस भेज दिया जाएगा।

ऐतिहासिक रूप से, सावलकोट कोई नया विचार नहीं है। केन्द्रीय जल आयोग ने इस स्थल की पहचान 1960 के दशक में की थी, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1962 से 1971 के बीच इसका भूविज्ञान मूल्यांकन किया था। नवीनतम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट फरवरी 2018 में प्रस्तुत की गई थी, जो यह स्पष्ट करती है कि यह पहल लंबे समय से योजना के तहत है। जो बदल चुका है, वह भू-राजनीतिक परिवेश है। वर्तमान द्विपक्षीय तनाव और निलंबित संधि ढांचे के बीच, तकनीकी रूप से उचित जलविद्युत परियोजनाएं भी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत के लिए, सवालकोट विकासात्मक अधिकारों और ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों की पुष्टि करता है। पाकिस्तान के लिए, यह डाउनस्ट्रीम जल निर्भरता में महसूस की गई संवेदनशीलता का प्रतीक है।

जैसे-जैसे निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यह परियोजना कूटनीतिक आदान-प्रदान में एक विवादास्पद मुद्दा बनी रहेगी। हालांकि, इसके कानूनी और तकनीकी पहलू यह संकेत करते हैं कि यह भारत की नदी बेसिन प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक गहरा और महत्वपूर्ण शिफ्ट है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 7 अप्रैल से सबरीमाला विवाद की सुनवाई होगी

यह विवाद मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा है

नई दिल्ली, 16 फरवरी। उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक आस्था बनाम मौलिक अधिकार और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने के मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले के सभी पक्षकारों को 14 मार्च तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि 9 जजों की संविधान बेंच 22 अप्रैल तक सुनवाई पूरी कर लेगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की टाइमलाइन तय करते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता 7 से 9 अप्रैल तक अपनी दलीलें रखेंगे। 14 से 16 अप्रैल तक इस याचिका का विरोध करने वाले पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। उसके बाद 21 फरवरी को याचिकाकर्ताओं की ओर से दोबारा दलीलें रखी जाएंगी। उसके बाद 22 अप्रैल को इस मामले के एमिकस क्यूरी की ओर से दलीलें रखी जाएंगी।

- **पूर्व में 28 सितम्बर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बैंच ने 4:1 के बहुमत से महिलाओं के पक्ष में फैसला किया था, जिस पर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं।**

सुनवाई के दौरान, सोमवार को केन्द्र सरकार ने कहा कि वो सबरीमाला मंदिर मामले में पुनर्विचार याचिकाओं का समर्थन करेगी। 28 सितंबर, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वजहों से महिलाओं के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत चार जजों ने कहा था कि ये संविधान की धारा 25 के तहत मिले अधिकारों के विरुद्ध है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बाकी चार जजों के फैसले से अलग फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक आस्था के मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पूजा में कोर्ट का दखल ठीक नहीं है। मंदिर ही यह तय करे कि पूजा का तरीका क्या होगा। मंदिर के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि धार्मिक प्रथाओं को समानता के अधिकार के आधार पर पूरी तरह से परखा नहीं जा सकता है। यह पूजा करनेवालों पर निर्भर करता है, न कि कोर्ट यह तय करे कि किसी के धर्म की प्रक्रिया क्या होगी। जस्टिस मल्होत्रा ने कहा था कि इस फैसले का असर दूसरे मंदिरों पर भी पड़ेगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908